

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक-एफ 27(78)ग्रावि/गुप-5/जीकेएन/दर विश्लेषण/2012-13

जयपुर, दिनांक: 25 जून, 2013

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
दर नियंत्रण समिति,
समस्त, राजस्थान।

विषय:- जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग के कार्यों की क्रियान्विति हेतु आइटम्स की दर एवं दर विश्लेषण को ग्रामीण कार्य निर्देशिका की दर अनुसूची में शामिल करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग की पत्रावली एफ 18(1-116)आईडब्लूएमपी/डब्लूडी एण्ड एससी/2012 आई.डी. सं. परावि 1809 दिनांक 17.05.2013.

महोदय,

उपरोक्ते विषयान्तर्गत शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग के कार्यों की क्रियान्विति हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका की दर अनुसूची में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रावि एवं परावि द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसरण में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग द्वारा वर्क-टाइम-मोशन स्टेडी करने के उपरान्त दर विश्लेषण तैयार कर अनुमोदन कराने तक की अवधि के लिए, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग द्वारा आइटम नं. 1-34 (16, 27 व 33 के अतिरिक्त) वन विभाग की स्थानीय बीएसआर में सम्मिलित आइटमों की दरें उपयोग में लिये जाने की अनुमति होगी। ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 पैरा संख्या-8.4.6 के प्रावधान मस्टररोल पर अकुशल श्रमिक द्वारा कार्य सम्पादन करने की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर लाभ की 10 प्रतिशत राशि काटे जाने की शर्त लागू नहीं होगी। आइटम संख्या-16, 27 ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के आइटम न. 109 व 113 के अनुरूप ही लागू होंगे।
2. आइटम नं. 35 का जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग तथा वन विभाग का दर विश्लेषण समान है, परन्तु दरों में भिन्नता है। अतः वर्क-टाइम-मोशन स्टेडी पश्चात दर विश्लेषण अनुमोदित होने तक, वन विभाग की दरें उपयोग में लाई जावें। Loamy sand को नरम मिट्टी एवं hard clay loam को कठोर मिट्टी माना जावे। कार्य सम्पादन में कठिनाई की स्थिति में, पंचायतीराज अधिनियम-1996 के प्रावधान अनुसार निविदा आमंत्रित कर सक्षम अनुमोदन उपरान्त दरें निर्धारित की जा सकती है।
3. आइटम नं. 36 मूलतः जल संसाधन विभाग का आइटम संदर्भ Chapter-V Part "A" Item No. 1 है। जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराये अनुसार उनके विभागीय आइटम्स का दर विश्लेषण प्रत्येक जिले हेतु पृथक-पृथक होता है। अतः आइटम नं. 36 सम्बन्धित जिले में जल संसाधन विभाग के उक्त आइटम के विभागीय दर विश्लेषण अनुसार, उपयोग किया जा सकता है। परन्तु उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रोफिट सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जल संसाधन विभाग द्वारा Ch-v Earthwork in Excavation Notes की पालना सुनिश्चित की जायेगी। नमूने के तौर पर उदयपुर जिले अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा प्रयुक्त उक्त आइटम के दर विश्लेषण की प्रति मय Ch-v Earthwork in Excavation Notes के संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,





(कुलदीप रांका)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव नरेगा, जयपुर।
6. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रावि/पंरावि।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
9. निदेशक, सीसीडीयू, (एनबीए) पंरावि।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

o/c

 25/06/13.
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि.)



आइटमों की सूची 1 से 35 तक

आइटम नं.	आइटम	इकाई
1	पत्थर, बजरी, बेलास्ट, चूना, सुर्खी, मिट्टी, मुरम, कंकर, आदि का मजदूरों या पशु द्वारा परिवहन मय चढाना एवं उतारना आदि (1) दूरी 100 मीटर तक (2) दूरी 200 मीटर तक	घन मीटर
2	सीमेन्ट, स्टील, कटा हुआ पत्थर, तार, इंटें एवं अन्य भारी वस्तुएं आदि का मजदूरों या पशु द्वारा परिवहन मय चढाना उतारना आदि (1) दूरी 100 मीटर तक (2) दूरी 200 मीटर तक	घन मीटर
3	स्रोत से पौधारोपण स्थल तक पौधों का परिवहन (यांत्रिक माध्यम से) अ—(1) दूरी 1 कि.मी. (2) दूरी 2 कि.मी. (3) दूरी 3 कि.मी. (4) दूरी 4 कि.मी. (5) दूरी 5 कि.मी. (6) दूरी 6 कि.मी. (7) दूरी 7 कि.मी. (8) दूरी 8 कि.मी. (9) दूरी 9 कि.मी. (10) दूरी 10 कि.मी. ब— 10 कि.मी. के आगे प्रत्येक किमी हेतु जोड़ें	हजार पौधा
4	10मी. X 1.20 मी. X 0.40 मी. आकार के बेड का लेआउट देना	बेड
5	10मी. X 1.20 मी. X 0.40 मी. आकार के पुराने बेड की ड्रेसिंग करना	बेड
6	क्ले मिट्टी, बालुई मिट्टी ओर कम्पोस्ट खाद का 1:1:1 के अनुपात में मिश्रण तैयार करना और पॉलिथीन बैग्स में छेद कर मिश्रण भरना अ— 20 X 40 सेमी आकार ब— 12.5 X 30 सेमी आकार स— 10 X 30 सेमी आकार द— 10 X 25 सेमी आकार इ— 8 X 12 सेमी आकार	पॉलिथीन बेग
7	पॉलिथीन बैग्स में बीज बुवाई	पॉलिथीन बेग
8	नर्सरी के लिए कटिंग्स (Root Shoot) तैयार करना	1000
9	मातृ बेड/ पॉलिथीन बैग्स में कटिंग्स लगाना अ— शाख कटिंग ब— रूट शूट कटिंग	1000
10	नर्सरी में पौधों की निराई गुडाई अ— पॉलिथीन बेग में ब— मदर बेड में	1000 बेड
11	नर्सरी में पौधों को पानी पिलाना (Each watering upto 200m) अ—रोज केन द्वारा ब— फ्लडिंग द्वारा	1000 बेड
12	पॉलिथीन बैग्स की जगह परिवर्तन करना	1000
13	छोटी से बड़ी थेलियों में बदलना	1000
14	साईट पर बडिंग ओर ग्राफिटिंग करना	पौधा
15	अस्थाई नर्सरी से पौधा रोपण स्थल तक 2 किमी दूरी तक मजदूरों द्वारा पौधों का परिवहन	पौधा
16	—	—
17	पौधों की प्रूनिंग करना एवं बड़े कतरन को बाड पर डालना	100 पौधा

18	पौधों की भराई व उतराई	1000 पौधा
19	पौधों को पानी पिलाने हेतु पानी की ढुलाई का कार्य अ- 2 किमी की दूरी तक प्रति पौधा 15 ली. पानी प्रतिबार ब- 2 किमी से अधिक किन्तु 5 किमी तक दूरी होने पर आइटम 19 अ के अतिरिक्त प्रति 1000 पौधा प्रति किमी.	1000 पौधा 1000 पौधा
20	पौधारोपण हेतु गद्दों की डाग बैलिंग	गद्दा
21	आइटम संख्या 20 में बिखरे हुए कार्य होने के कारण अतिरिक्त जोड़े 10 प्रतिशत	गद्दा
22	खोदे हुए गद्दे का कीटनाशक दवा से उपचार करना	गद्दा
23	पौधों का खाद से उपचार करना	गद्दा
24	खोदे गए गद्दों का अम्ल से उपचार करना	गद्दा
25	पौधारोपण स्थल पर सिर पर पानी परिवहन हेतु 250 मीटर जब कार्य स्थल पर पानी उपलब्ध हो	पौधा
26	पुराने थावलों की मरम्मत करना	थावला
27	—	—
28	पौधे के चारों तरफ 2 मी. परिधि की कटीली झाड़ियों की बाड लगाना मय झाड़ियों को स्थानीय स्तर से काटना, काटकर पौधे तक लाकर चारों तरफ लगाना।	पौधा
29	घास/जंगलाती बीज की नोचिंग/डिबलिंग कर बुवाई करना।	नोचिंग/डिबलिंग
30	घास के बीज में चिकनी मिट्टी, खाद, तालाब की मिट्टी, पानी का मिश्रण तैयार कर उनके पेलेट्स बनाना (सामग्री लागत सम्मिलित नहीं है)	किलो
31	घास के बीज के तैयारशुदा पेलेट्स की बुवाई का कार्य (सामग्री लागत सम्मिलित नहीं है)	नोंच
32	क्षेत्र में घास के बीजों का केवल छिडकाव करना (दर)	हेक्टेयर
33	—	—
34	ट्रेक्टर कल्टीवेटर द्वारा जुताई एवं घास का छिडकाव घास की मात्रा 6 से 8 किलो प्रति है0 (बीज लागत अति.)	हेक्टेयर
35	Earth work for bund/embankment in dry or moist soil with the help of tractor attached with scraper including laying in layers of 15 cm ,breaking of clods,sorting of grasses ,pebbles and dressing up to required profile ,completed manually with initial lead of 30 mt and lift of 1.5 mt (excluding charges of watering and compaction) A- In Ordinary Soil B- In Hard Soil	Cubic Meter

2011
District Engineer

CHAPTER - V

EARTHWORK IN EXCAVATION / EMBANKMENT AND PROTECTION WORKS

NOTES:-

- 1 These rates are at work site inclusive of all taxes, Contractor's profit overheads & royalty etc.
- 2 Mode of measurement and classification on nature of work as well as type of strata shall be governed by IS:1200 (Part-I): 1992 and Hand Book of method of measurements: Publication No. SP-27:1987 of Bureau of Indian Standards .(refer useful data in which extract copy of same is provided)
- 3 In case of earthwork in excavation and for dams part A+B only "crow fly distance" between C.G. of Embankment/spoil bank base to the C.G. of borrow area cut shall be considered as "shortest practicable route" for the purpose of lead what so ever the case may be.
- 4 No payment for earthwork of ramps, approaches to embankments shall be made and cost of such operation shall deemed to have been included in item rates given below.
- 5 No Payment for construction and maintenance of haul roads for approach to borrow area shall be admissible and cost there of shall be deemed to have been included in the item rates given below.
- 6 The rates of earthwork for bunds are for complete item and includes allowance for shrinkage due to compaction, wastage etc.
- 7 In case of earth work for bunds, the lift shall not be considered separately but shall be considered with the lead as computed below : Total lead = $1.2(L+12H)$.
Where : L = Lead in meter as per note No 3
H = Height of weighted C.G. over base in meter.
- 8 The use of explosive in excavation shall not be considered as a "reason" for classification of strata.
- 9 The stones from hard rock requiring blasting shall be termed useable if minimum size of stone is not less than 15 cms or maximum size is not greater than 45 cm in any direction. If bigger stones are found from excavation then bigger stones shall be brought to size of useable stones & no extra payment on this account shall be admissible.
- 10 Classification of strata shall be inspected and approved by Executive Engineer.
- 11 In case of change of strata from that as contemplated in the sanctioned estimate, prior permission/approval of the Superintending Engineer should be invariably obtained.
- 12 In case hard rock requiring blasting is more than 500 cum, it shall be got checked and approved by the Superintending Engineer.
- 13 No extra payment will be done for de-watering on the items of this chapter.

- 14 Mixes rate of canal excavation can be allowed by estimate sanctioning authority who will ascertain the same based on details of sufficient trial pits to be applicable to canals having discharge capacity less than 10 cusecs and limited to 2 m depth of cutting and water courses of minor tanks & minors and water courses of major & medium projects.

S. No.	Item	Basic rate in		Rate in ₹		Total Unit
		₹	Labour	Material		
PART "A" : <u>EARTH WORK IN EXCAVATION</u>						
ANALYSIS FOR WORK TO BE EXECUTED BY MACHINARIES						
1	Excavation including loading, unloading, disposal and dressing of excavated earth within initial lead of 50m and lift up to 1.5m in dry or moist including dressing of excavated area, dewatering wherever required complete in all respect					
	(A) Machinery components					
	(i) Use of hydraulic excavator & labour					
	J.C.B. type excavator (0.40 cum Bucket capacity) hourly rate					
	Hourly rate	700.00				700.00 P Hr
	Amount for Diesel	39.88	5.00			199.00 P Hr
						<u>Total hourly rate for one no of J.C.B.</u> 899.00 P Hr
	(ii) Use of Dumpers & Hourly rate for					
	Dumper	162.50				163.00 P Hr
	Amount for Diesel	39.88	3.00			120.00 P Hr
						<u>Total hourly rate for one no of Dumper</u> 283.00 P Hr
(a)	For the strata Soft/Loose soil (out put per hour)	70.00				Cum
	i Machinery required as					
	J.C.B.	899.00	1.00			899.00 No
	Dumper	283.00	3.00			849.00 No
						<u>Total of (a) Total charges for Machinery per hour with POL</u> 1748.00

S. No.	Item	Basic rate in		Rate in ₹		Total Unit
		₹	Labour	Material		
ii	component for daily transportation of equipments to camp, diesel storage, camp facilities, welfare & medical facilities @ 5% of total of (a) i.e. on	1748.00	5		87.40	%
iii	Component for labour for excavation in bed, sides, finishing & dressing for 10% of Quantity of per hour output ie. Of 70 cum = 7 cum 2/7 beldar required for 1 cum, therefore for 7 cum no of beldar required	2.0	@	135	270.00	No
	T&P and Labour welfare 3%+Sundaries1% contractor profit 10% = 14% on	270.00	14		37.80	%
				Total	307.80	
	Total rate for 70 cum of excavation = (a)+(b)+©=				2143.20	
	Income tax 2.06% + Sale tax 1.50% + Royalti 0.50% I.e = 4.06 % on	2143.20			87.01	
					2230.21	
				Therefore rate per cum	31.86	
				Say	32.00	Cum
(b)	For the strata Hard / dense soil soil (out put per hour)	60.00				Cum
i	Machinery required as					
	J.C.B.	1.00	@	899.00	899.00	No
	Dumper	3.00	@	283.00	849.00	No
	Total of (a) Total charges for Machinery per hour with POL				1748.00	
ii	component for daily transportation of equipments to camp, diesel storage, camp facilities, welfare & medical facilities @ 5% of total of (a) i.e. on	1748.00	5		87.40	%
iii	Component for labour for excavation in bed, sides, finishing & dressing for 10% of Quantity of per hour output ie. Of 60 cum = 6 cum 1/3 beldar required for 1 cum, therefore for 6 cum no of beldar required =2	2.0	@	135	270.00	No

S. No.	Item	Basic rate in		Rate in ₹		Total	Unit
		₹	Labour	Material			
	T&P and Labour welfare 3%+Sundaries1% contractor profit 10% I.e = 14% on	270.00	14			37.80	%
					Total	307.80	
	Total rate for 60 cum of excavation = (a)+(b)+©=					2143.20	
	Income tax 2.06% + Sale tax 1.50% + Royalti 0.50% I.e = 4.06 % on	2143.20				87.01	
						2230.21	
					Therefore rate per cum Say	37.17 37.00	Cum
(c)	For the strata Hard / Dence soil soil (out put per hour)	40.00					Cum
i	Machinary required as						
	J.C.B.	1.00	@	899.00		899.00	No
	Dumper	2.00	@	283.00		566.00	No
	Total of (a) Total charges for Machinary per hour with POL.					1465.00	
ii	component for daily transportation of equipments to camp, disel storage, camp facilities, welfare & medical facilities @ 5% of total of (a) i.e. on	1465.00	5			73.25	%
iii	Component for labour for excavation in bed, sides, finishing & dressing for 10% of Quantity of per hour output ie. Of 40 cum = 4 cum						
	5/8 beldar required for 1 cum, therefore for 4 cum no of beldar required =	2.5	@	135		337.50	No
	T&P and Labour welfare 3%+Sundaries1% contractor profit 10% = 14% i.e. on	337.50	14			47.25	%
					Total	384.75	
	Total rate for 40 cum of excavation = (a)+(b)+©=					1923.00	
	Income tax 2.06% + Sale tax 1.50% + Royalti 0.50% I.e = 4.06 % on	1923.00				78.07	
						2001.07	
					Therefore rate per cum Say	50.03 50.00	Cum